न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 78/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 03.12.2024 निर्णय दिनांक : 13.01.2025

1. भवानीसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसईभोपाल सिह तहसील मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. हवासिंह पि.मु. जयनारायण सिंह पुत्र सुगनसिंह
2. बजरंगसिंह पुत्र रोहतानसिंह पुत्र श्रीलाल
3. सदाकंवर पत्नी सुन्दरसिंह पुत्र सवाईसिंह पुत्र श्रीलाल
4. हेमलता पुत्री सुन्दरसिंह पुत्र सवाईसिंह पुत्र श्रीलाल
5. उगन्ता पुत्री सुन्दरसिंह पुत्र सवाईसिंह पुत्र श्रीलाल
6. अमित पुत्र सुन्दरसिंह पुत्र सवाईसिंह पुत्र श्रीलाल प्रतिवादी सं0 4,5,6 नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सदाकंवर खुद
7. माधोसिंह पुत्र रामबिलास सिंह उर्फ रामनिवास
8. कमलेश पत्नी राजबीरसिंह पुत्र रामबिलाससिंह
9. बिन्दूसिंह पुत्र राजबीरसिंह पुत्र रामबिलाससिंह
10. भीमसिंह पुत्र राजबीरसिंह पुत्र रामबिलाससिंह
11. ननगसिंह पुत्र रावतसिंह
12. रघुवीरसिंह पुत्र रावतसिंह
13. सन्तरा पत्नी सुमेरसिंह पुत्र रामदयालसिंह
14. रामकिशन पुत्र सुमेरसिंह पुत्र रामदयालसिंह
15. सुधीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह पुत्र रामदयालसिंह
16. निशाबाई पुत्री पुत्र सुमेरसिंह पुत्र रामदयालसिंह
17. पवनसिंह पुत्र चावण्डसिंह पुत्र रामदयालसिंह
18. रीना कंवर पुत्र चावण्डसिंह पुत्र रामदयालसिंह
19. मनोज सिंह दत्तक पुत्र विजयसिंह पुत्र रामदयालसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
20. विक्रमसिंह पुत्र रामावतार जाति अहीर निवासी वार्ड नं 4 मोहल्ला खासापुरा बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)
21. उप पंजीयक महोदय मांढण तह० मांढण
22. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मांढण (कोटपूतली–बहरोड) ।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र बाबत उक्त अनुवानी राजस्व वाद 303/2022 (178/2020) तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए स0 168/2022 दावा व स्टे प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना की अदालत से कोटपूतली–बहरोड जिले मे अन्य उपखण्ड अधिकारी की अदालत मे सुनवाई हेतु ट्रांसफर किया जाने के क्रम में।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रामकिशन शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुकेश यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 01 से 20 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रकरण संख्या 303/2022 (178/2020) उनवानी प्रकरण भवानीसिंह बनाम हवासिंह व अन्य एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। वकील उभय पक्षकारान ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना की अदालत मे राजस्व नया 303/2022 प्रकरण सं0 178/2022 पुराने 'उनवान भवानीसिंह बनाम हवासिंह एवं दावा के साथ पेश प्रार्थना पत्र सं0 168/2022 प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए०, लम्बित है। जिसमे तारीख पेशी दिनांक 05.02.2025 की नियत थी। लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण मे शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र पर प्रकरण मे छोटी पेशी नही करने एवं प्रकरण किसी प्रकार से भी आवश्यक नैचर का नही होने बाबत मिन वादी के अधिवक्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी जी के समक्ष काफी निवेदन किया गया था। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने तारीख पेशी छोटी करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० वास्ते बहस लगाई गई। अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को धमकी देते है कि चाहे कुछ भी करले अब हमने अधिकारी से बात करली है। आपके प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० को खारिज करवाकर, हम गलत रिकार्ड के आधार पर आराजी मुतनाजा का बयनामा करवा देगें और उसी दिन इंतकाल खुलवा देगें। इसलिए मिन प्रार्थी/वादी को यह अंदेशा है कि पीठसीन अधिकारी, द्वारा बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुऐ ही मिन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करेगा और मिन वादी को विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो से वंचित रहना पडेगा। इसलिए मिन प्रार्थी/वादी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि 303/2022 (178/2020) उनवानी प्रकरण भवानीसिंह बनाम हवासिंह व अन्य तथा उसके साथ पेश प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०ए० सं० 168/2022 की पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना की अदालत से तलब फरमाई जाकर, उक्त प्रकरण को नीमराना के अलावा कोटपूतली–बहरोड जिले के किसी भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

5. वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थीया द्वारा मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावें।

6. प्रकरण में तहत न्यायालय से बिन्दूवार टिप्पणी भिजवाते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बनावटी व मनगढंत होना बताया जाकर प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़